मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा चतुर्दश सत्र

फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

(12 फाल्गुन, शक संवत् 1944)

[खण्ड- 14] [अंक- 5]

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

(12 फाल्गुन, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11. 06 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

11.06 बजे **प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख**

इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिये जाने विषयक

नेताप्रतिपक्ष (डॉ.गोविन्द सिंह) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. अत: हमारा निवेदन है कि पहले आप उस पर अपना निर्णय दे दें.

अध्यक्ष महोदय -- नेता प्रतिपक्ष जी, पहले प्रश्नकाल हो जाये.

संसदीय कार्यमंत्री(डॉ.नरोत्तम मिश्र) -- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कर लें आप लेकिन हमको भी सुन लें.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक है, आपको सुन लेंगे.

डॉ.गोविन्द सिंह -- आज आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने, कांग्रेस पक्ष ने रख दिया है, पहले आप उस पर डिसीजन लें, कब चर्चा करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय -- अभी मेरे सामने नहीं आया है.

डॉ.गोविन्द सिंह -- आपके ऑफिस में दे दिया था.

अध्यक्ष महोदय -- ठीक बात है, जब आयेगा तो देखेंगे उसको, अभी मेरे सामने नहीं आया है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा कहना था.

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- माननीय अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो नैतिकता के आधार पर उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आप बैठ जाईये, अब नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है, अब उनको बोलने दीजिये. (व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- आपने नियम प्रक्रिया पढ़ी नहीं है. इसमें 14 दिन लिखा है.

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- नियम प्रक्रिया सब पढ़ी हुई है, मैं तो नैतिकता के आधार पर बोल रहा हूं कि जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, नैतिकता के आधार पर वह कुर्सी किसी ओर को दे देता है. (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय -- आपने बोल लिया है तो उनको बोलने दीजिये. (व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको सुन लें, उसके बाद मुझे सुन लें.

डॉ.गोविन्द सिंह -- अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया मालूम है, पढ़ लिया है, पुरा पढ़ लिया है, लेकिन तय तो हो जाये, 14 दिन के पहले का है. अभी सत्र आपका 27 तक है, केवल यह तय कर दें कि कब चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय -- नेता प्रतिपक्ष जी, हो गया न आपका, सज्जन जी आप बोलें.

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- हमने कब कहा चर्चा नहीं करने को, हम मना नहीं कर रहे हैं.

श्री सज्जन सिंह वर्मा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि नियम प्रक्रिया हम सारे लोग जानते हैं, कभी बहुत कम दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था होती है, जबकि सदन के किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है, नियम प्रक्रिया अलग है, लेकिन जब किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है. मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं कि उस स्पीकर को कुर्सी किसी अन्य को देकर सदन की कार्यवाही चलाना चाहिये.

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मुझे नहीं मालूम की उनको कौन सलाह देता है, पर जिस कारण से रखा है, जो उन्होंने उल्लेख किया है. मैं सिर्फ उतनी सी बात कर रहा हूं कि आपके द्वारा कल कोई निर्णय निलंबन का नहीं लिया गया है. निलंबन का प्रस्ताव मैंने अपने नाम का उल्लेख और पद का उल्लेख करके रखा था. आपने निर्णय नहीं लिया, आपने सदन के ऊपर निर्णय छोड़ा है, निर्णय सदन ने लिया और बहुमत के आधार पर निलंबन का निर्णय हुआ था. **(मेजों की थपथपाहट)**

श्री कुणाल चौधरी -- अध्यक्ष महोदय यह तो गलत बात है.

डॉ.नरोत्तम मिश्र -- आपको जिसको बोलना है बोलें, पहले सुन लें.

श्री कुणाल चौधरी -- अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र में कत्ल कर रहे हैं और बाते कर रहे हैं. कल भी इन्हीं की चली थी, आज भी इन्हीं की चलेगी क्या ? यह इस तरीके से आपका काम है सदन के अंदर संरक्षण देने का और (xxx) (व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय -- हो गया है आपका, अब तो सुन लेने दो. नहीं आप उनको सुन लें, उनको समय दिया है बोलने का, सज्जन वर्मा जी को बोलने का समय दिया है.

(व्यवधान)....

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, इनको भी सुन लेना, उनको भी सुन लेना, कुणाल जी की पीड़ा वाजिब है क्योंकि बार बिलो द बेल्ट हुआ है, इसलिये वह पीड़ा दिख रही है. (व्यवधान..)

श्री कुणाल चौधरी -- पीड़ा नहीं है, कैसे लोकतंत्र का कत्ल करा गया है, लोकतंत्रात्मक मूल्यों के साथ जनता की आवाज दबाई गई. (व्यवधान..)

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- सवाल यह नहीं है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी आसंदी के प्रति (व्यवधान...) हट जाओ सामने से **(एक भृत्य के सामने आ जाने पर)**

(व्यवधान...)

श्री कुणाल चौधरी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव है और इस तरीके से यह देखिये, यह देखिये, यह देखो. (व्यवधान...)

(व्यवधान...)

...(व्यवधान)...

(चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष के सामने गर्भगृह के बीच में एक भृत्य के आ जाने पर उन्हें बीच में से हटने को बोलने और हाथ से इशारा करने के दौरान संसदीय कार्यमंत्री के हाथ में रखी नियमावली संबंधी पुस्तक छूट कर गर्भगृह में गिर गई)

...(व्यवधान)...

श्री प्रियव्रत सिंह-- ये देखो ये क्या तरीका है.

एक साथ कई सदस्य-- ये देखिये, ये क्या तरीका है ...(व्यवधान)...

11.01 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण का गर्भगृह में प्रवेश.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से गर्भगृह में पुस्तक छूटने संबंधी बात कहते हुये एवं उन्हें निलंबित करने संबंधी नारे लगाते हुये गर्भगृह में आये)

श्री प्रियव्रत सिंह-- ये देखिये, ये क्या तरीका है, इनका दिमाग खराब हो गया है ...(व्यवधान)...

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि सामने से हट जा ...(व्यवधान)...

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ-- ये कैसा व्यवहार है संसदीय कार्यमंत्री ...(व्यवधान)... माफी मांगना पड़ेगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- किस बात की माफी ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- सभी सदस्य अपनी सीट पर जायें ...(व्यवधान)...

श्री विश्वास कैलाश सारंग-- अध्यक्ष जी, वह तो उसको हटा रहे थे. ...(व्यवधान)...

श्री सज्जन सिंह वर्मा-- इनको तो बजट पास करना है ...(व्यवधान)... गृह मंत्री को सदन में निलंबित करिये. ...(व्यवधान)... इनकी ड्यूटी है कि यह असत्य बजट पास करायें, हंगामा कराकर सदन को निलंबित करना चाहते हैं. ...(व्यवधान)... गृह मंत्री का आचरण लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है सदन के अंदर किसी को किताब फेंककर मारना, इनको तत्काल निलंबित किया जाये, तब हम मानेंगे. ...(व्यवधान)... स्पीकर निष्पक्ष हो ...(व्यवधान)...

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष जी इनकी क्या मांग है. ...(व्यवधान)...

कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा-- (XXX), संसदीय कार्यमंत्री का यह आचरण अच्छा नहीं है. ...(व्यवधान)...

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण संसदीय कार्यमंत्री के खिलाफ गर्भगृह में नारे लगाते रहे)

अध्यक्ष महोदय-- विधान सभा की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिये स्थगित.

(11.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिये स्थगित की गई)

विधान सभा पुन: समवेत हुई

12.00 बजे { अध्यक्ष महोदय {श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए }

श्री सज्जन सिंह वर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो अमर्यादित आचरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है. उसके प्रत्यक्ष गवाह आप भी हैं. जिस तरह कल हमारे माननीय सदस्य को आपने निलंबित किया बी.जे.पी. के दबाव में, आप तो प्रत्यक्ष जिसके गवाह हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने नेता प्रतिपक्ष को मारने के लिये संविधान की किताब को फेंका, उनको तत्काल निलंबित किया जाए. हम आसंदी से मांग कर रहे हैं आपसे नहीं.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र) - माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का तो कोई मामला ही नहीं था. बीच में हमारे और नेता प्रतिपक्ष के बीच में एक चपरासी आ गया. (xxx) आप नहीं बन पाए. यह बात समझ आती है. अब उनकी तुलना चपरासी से कर रहे हो. यह सदन ने देखा है. अब (xxx). अध्यक्ष जी, मैं उस चपरासी को हटा रहा था. किताब मेरे हाथ से छूटी में उसके लिये खेद व्यक्त करता हूं.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - उनको सुन तो लें.

(..व्यवधान..)

श्री सज्जन सिंह वर्मा - उस घटना को (xxx) नहीं जा सकता.

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.गोविन्द सिंह) - माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है उसमें मांग की है कि संसदीय कार्य मंत्री को पूरे सत्र के लिये निलंबित किया जाए.

डॉ.नरोत्तम मिश्र - अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, वह दे सकते हैं. वह उनका अधिकार है. मैंने एक चपरासी हो हाथ से हटा रहा था. अब यह पुस्तक मेरे हाथ में थी. वह छूट गई. इसके बावजूद भी मैं खेद व्यक्त करता हूं. बाकी जो प्रस्ताव इनको देना है दे सकते हैं.

(..व्यवधान..)

श्री प्रियव्रत सिंह - अध्यक्ष महोदय, (XXX) यह मध्यप्रदेश के गृह मंत्री हैं.

(..व्यवधान..)

वन मंत्री(कुंवर विजय शाह) - माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो घटना हुई उस पर खेद व्यक्त कर दिया है. पुस्तक उनके हाथ से छूटी.

12.04 बजे **अध्यक्षीय व्यवस्था**

सदन की कार्यवाही शालीनता के साथ चलाये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय - सदन को स्मरण होगा कि मेरे द्वारा अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सदन में व्यवस्था बनाने एवं माननीय सदस्यों विशेषकर श्री जितु पटवारी को शालीनता के साथ अपनी बात सदन की परंपराओं के अनुसार रखने का बार-बार अनुरोध किया गया, परंतु इसके बावजूद भी सदन में उत्तेजना की स्थिति निर्मित होती रही. इसके उपरांत भी मेरे द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित कर शालीनता के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए संबंधित पक्षों के सदस्यों से परामर्श कर समझाइश भी दी गई तथा सदन में श्री जितु पटवारी से अपने सत्य कथन के संबंध में खेद व्यक्त कर प्रकरण समाप्त करने का भी प्रयास किया गया लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. तदुपरांत सदन में माननीय सदस्य को सत्र की शेष बैठों से निलंबन का प्रस्ताव पारित हुआ. इस तरह इस संपूर्ण प्रकरण में मेरी भूमिका पूर्णत: निष्पक्ष एवं सदन में व्यवस्था बनाने की

रही है लेकिन सदन मे कतिपय सदस्यों के व्यवहार से जो स्थिति निर्मित हुई, वह दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण थी.

मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों को जनहित के विषयों को उठाने के लिए एवं अपनी बात रखने के लिए निष्पक्षता से पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए.

आज पुन: सभी पक्ष व प्रतिपक्ष से माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यह सत्र महत्वपूर्ण बजट सत्र है. राज्यपाल के अभिभाषण के साथ अनेक जनहित के विषयों पर चर्चा की जानी है. इसलिए सदन की कार्यवाही शालीनता के साथ चलाने में सहयोग प्रदान करें.

श्री कुणाल चौधरी - हमें कोई भरोसा नहीं है.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाईये.

डॉ.गोविन्द सिंह - माननीय अध्यक्ष जी,ऐसा कोई नियमों में नहीं है कि सदन का प्रस्ताव मानने को आप बाध्य हो. भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा न हो. उनके भ्रष्टाचार न खुले. लगातार प्रश्नों के जवाब नहीं दिये जा रहे हैं. जहां-जहां (xxx) खुलते हैं वहां हमेशा मैं तीन वर्षों से देख रहा हूं. इस तरह की परंपरा सत्ता पक्ष द्वारा चलाई जा रही है. मैं माननीय अध्यक्ष जी, से प्रार्थना करता हूं कि माननीय जितु पटवारी जी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया. उन्होंने जो विधान सभा में आपके द्वारा, सदन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन मंत्री की हैसियत से जो जवाब दिया था. उसी जवाब को उन्होंने रखा था. अब उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके सत्ता पक्ष के दबाव में इस मांग को, हल्ला-गुल्ला करके, मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि सदन चलाने की इनकी परंपरा नहीं है. मुझे पहले से ही जानकारी थी कि सदन को नहीं चलने देंगे. सदन को न चलाकर यह प्रजातंत्र से भागते हैं और सदन की अवमानना करते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्र - हम तैयार हैं पूरा सदन चलाने को. पूरा सदन चलाएंगे.

डॉ.गोविन्द सिंह - संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पूरे देश के इतिहास में सरकार के पक्ष, और वह भी संसदीय कार्य मंत्री जो वर्षों से सदन के मंत्री हैं, सदस्य है. उसके द्वारा आज जो

XXX : आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

इतना घृणित कार्य किया है. किताब फेंक कर. किताब सरकती नहीं है. अध्यक्ष महोदय, यह आपने भी देखा है. मैंने उनके खिलाफ भी लिखकर दिया है. अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को स्वीकार करेंगे क्या. अध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेश का पालन करेंगे. जिस प्रकार आपने कल जितु पटवारी जी को निलंबित किया है, मेरा भी आग्रह है, उससे बड़ा अपराध जितु पटवारी जी ने केवल माफी नहीं मांगी. इन्होंने तो सदन की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं. पूरी तार तार कर दी हैं. आज तक मध्यप्रदेश के इतिहास में आजादी के बाद ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री या किसी मंत्री द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया हो. अध्यक्ष महोदय, अतः मैं मांग करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को तत्काल पूरे सत्र के लिये निलम्बित करें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, पूरा सत्र चलाने के लिये हम तैयार हैं.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग सुन लें ना. उनकी बात सुन तो लो. कृपया सुन लो. ..(व्यवधान).. आप बोलिये.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, हम पूरा सत्र चलाने के लिये तैयार हैं. सार्थक बहस हो, सारगर्भित बहस हो और इसलिये यह सारगर्भित बहस यहां पर जितनी होगी, उतना लाभ मिलेगा. कोई सत्र स्थगित करने के लिये नहीं है. अध्यक्ष महोदय, यह हो हल्ला करके सदन चलाना नहीं चाहते हैं. ..(व्यवधान).. इनके पास में कोई तथ्य नहीं है. (कागज दिखाते हुए) यह जो कांग्रेस ने दिया है, इसमें श्री कमल नाथ के दस्तखत नहीं है. अध्यक्ष महोदय, इसमें कमलनाथ जी के दस्तखत नहीं हैं. इसमें आधे सदस्यों के दस्तखत हैं. ...(व्यवधान).. बतायें आप इसमें कमलनाथ जी के दस्तखत हों अविश्वास प्रस्ताव पर, अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ जी के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं. ..(व्यवधान).. हम सदन पूरा चलायेंगे.

..(व्यवधान)..

12.06 बजे **गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी**

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्री, डॉ.नरोत्तम मिश्र के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर गर्भगृह में आ गये और नारेबाजी करने लगे.)

..(व्यवधान)..

12.07 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय-- अब पत्रों को पटल पर रखा जायेगा. डॉ. नरोत्तम मिश्र जी.

(1) मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण की अधिसूचना फा.क्र.दो-12-11-मा.अधि.-2003, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022.

विधि और विधायी कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार अधिसूचना फा.क्र.दो-12-11-मा.अधि.-2003, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 पटल पर रखता हूं.

(2) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी संबंधी जल संसाधन विभाग की अधिसूचना एफ 35-31-2019-एम-31-106, दिनांक 30 जून, 2022.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना एफ 35-31-2019-एम-31-106, दिनांक 30 जून, 2022 पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

(3) मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री बिसाहूलाल सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा

(6) (च) के अंतर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उप नियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखता हूं.

(4) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021.

ऊर्जा मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

(5) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021.

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री प्रेमसिंह पटेल)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

(गर्भगृह में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पुस्तक फाड़कर फेंकी गई.)

डॉ. नरोत्तम मिश्र -- अध्यक्ष महोदय, यह अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं, यह देखो आप. यह अम्बेडकर जी का कैसा अपमान कर रहे हैं. यह अम्बेडकर जी का, देखिये आप अध्यक्ष जी. यह अम्बेडकर जी का कह रहे थे ये अभी.

..(व्यवधान)..

(6) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ओमप्रकाश सखलेचा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख)

की अपेक्षानुसार जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

..(व्यवधान)..

(7) (क) (i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22, एवं

(iii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022.

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(ग) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(घ) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव):- अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार-

(i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(iii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022,

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन. 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ग) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(घ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखता हूं.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की जाती रही.)

(व्यवधान)..

12.11 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय - नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267- क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है. यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

अब मैं सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा-

1. श्री आरिफ अकील
2. डॉ. सतीश सिंह सिकरवार
3. डॉ. सीतासरन शर्मा
4. श्री सुनील सराफ
5. श्री रामलाल मालवीय
6. श्री पी.सी. शर्मा
7. श्री आरिफ मसूद
8. श्री कमलेश्वर पटेल
9. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
10. इंजी. प्रदीप लारिया
11. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक
12. श्री तरुण भनोत
13. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
14. श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा
15. श्री संजय यादव
16. डॉ. गोविन्द सिंह
17. डॉ. हिरालाल अलावा

18. श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय

19. श्री दिनेश राय मुनमुन

20. श्री बहादुर सिंह चौहान

12.12 बजे **ध्यान आकर्षण**

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यान आकर्षण सूचनाएं प्रस्तुत की गई मानी जाएंगी और उनके उत्तर कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे.

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

श्रीमती सुलोचना रावत, जोबट (अ.ज.जा.)

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-192-जोबट (अ.ज.जा.) की सदस्य श्रीमती सुलोचना रावत की ओर से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमें उन्होंने फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य की ओर से प्राप्त निवेदन इस प्रकार है :-

" दिनांक 25 नवम्बर, 2022 से ब्रेन हेमरेज होने के कारण कोकिलाबेन अस्पताल मुम्बई में लगातार उपचाररत् होने के कारण वर्तमान विधान सभा फरवरी-मार्च, 2023 सत्र में सम्मिलित नहीं हो पा रही हूं.''

क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-192-जोबट (अ.ज.जा.) की सदस्य, श्रीमती सुलोचना रावत को इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाये ?

अनुज्ञा प्रदान की गई.

आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये माने जाएंगे.

12.13 बजे **वक्तव्य**

मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 के तहत घोषित अपूर्ण नगर सुधार स्कीम्स के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय - अब, श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, दिनांक 3.3.2023 को मंत्रिपरिषद् में हुए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 के तहत घोषित अपूर्ण नगर सुधार स्कीम्स के संबंध में वक्तव्य देंगे.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय,

मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित नगर सुधार स्कीम्स् के तहत सम्मिलित भूमि स्कीम प्रकाशन की दिनांक से, समस्त भारों से मुक्त न्यास में पूर्णरूपेण निहित हो गई। अनेक प्रकरणो में राजस्व रिकार्ड में भी नगर सुधार न्यास/स्थानीय नगरीय निकायों का नाम दर्ज किया जा चुका है। लेकिन इनमें से अनेक भूमि स्वामियों को उनकी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार कुछ नगर सुधार स्कीम्स में प्रारम्भिक अधिसूचना जारी हुई है किन्तु धारा-71 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, फिर भी स्कीम में सम्मिलित भूमिस्वामियों को निजी विकास किये जाने की अनुमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। वर्षों तक अक्रियान्वित रहने के कारण इनमें से अनेक नगर सुधार स्कीम्स् का अब कोई औचित्य शेष नहीं है। अनेक जगहों पर अप्राधिकृत विकास हो जाने के कारण ऐसी स्कीम्स् को पूर्ण करना भी सम्भव नहीं है। जिन भूमियों पर मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 की धारा- 71 की अधिसूचना जारी की गई है, किन्तु भूमि का प्रतिफल भूमिस्वामी को नहीं दिये जाने के कारण अर्जन की प्रक्रिया अपूर्ण है, में अब प्रतिफल प्रदान करने हेतु अधिकांश विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगरीय निकाय वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है।

ऐसी सभी भूमि के भूमिस्वामी विगत कई दशको से अपनी भूमि पर ना तो कोई योजना तैयार कर पा रहे है और ना ही उन्हें अपनी भूमि का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसे प्रकरणों के समाधान के संबंध में विस्तृत परीक्षण कर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-52 के तहत किया जाकर समुचित कार्रवाई किये जाने संबंधी निर्णय मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 03/03/2023 द्वारा लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (22 फाल्गुन, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह

भोपाल : प्रमुख सचिव

दिनांक : 3 मार्च, 2023 मध्यप्रदेश विधान सभा